

नेशनल, निरंतर, वृहद लोक अदालत के समक्ष

पीठासीन अधिकारी-दीप्ति सिंह गौर खण्डपीठ क्र-0

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा-19 के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा आयोजित)

दा.प्रक.क्र. - 4293/2022

प्राथी/आहत - बलराम यादव

आरोपी/आरोपीगण - श्री गीत लिवारी श्री प्रमोद निवारी अग्र-28
श्री - बंधायेलम विडाला पी. विडाला
कबीरधाम

न्यायालय / प्राधिकरण समिति की कार्यवाही संख्या- स्थिति:-

न्यायिक अधिकारी- श्री सुमेश मिश्रा कबीरधाम

सदस्यों का नाम- श्री एन. पी. पाठे सदस्य अधिवक्ता
श्री चंद्रशेखर सिंह गौर सामाजिक कार्यकर्ता।

राजीनामा / निर्णय

(आज दिनांक 11.02.23 दिन को पारित)

1. उभयपक्ष के मध्य बिना किसी तर्क या वाव के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा होने के आधार पर आरोपी/गण को धारा 294, 323, 506-1 IPC के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।
2. प्रकरण में जप्तुशदा संपत्ति कि 24 मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।
3. प्रकरण में अनिर्णय की एक-एक प्रति उभयपक्षों को निशुल्क दी जावे।

सामाजिक कार्यकर्ता
कबीरधाम (कवर्धा) छ0ग0

सामाजिक कार्यकर्ता
कबीरधाम (कवर्धा) छ0ग0

अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, खण्डपीठ
कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)